भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 302
05 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएमएसवाई के तहत कार्यक्रम

302. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगारे :
श्री दिलीप शइकीया:
श्री नारणभाई काछडिया:
श्री बिद्युत बरन महतो:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार द्वारा एक सुदृढ़ मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचा स्थापित करने तथा मछुआरो तथा मत्स्यपालकों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण के लिए उठाए गए नए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग) मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय देश में मात्स्यिकी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए 20050 करोड़ रु/- के निवेश के साथ प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) नामक एक प्रमुख योजना लागू कर रहा है । इस योजना के तहत देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों की मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं 17118.62 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किए गए हैं ।

प्रधान मंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर और मेनेजमेंट, मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चेन) के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता में सुधार में क्रिटिकल गैप्स को दूर करने के लिए डिजाइन और कार्यान्वित किया गया है । मात्स्यिकी मूल्य श्रृंखला को आधुनिक बनाने और सुदृढ़ करने के लिए, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत फिशिंग हारबर्स/फिश लैंडिंग सेन्टेर्स, कोल्ड स्टोरेज और आइस प्लांट, रेफ्रिजरेटेड और इंसुलेटेड वाहनों सहित मत्स्य परिवहन वाहनों, मोटरसाइकिल, साइकिल और ऑटोरिक्शा में बर्फ तोड़ने और बर्फ कुचलने वाली इकाइयों, बर्फ/मछली रखने के बक्सों, मूल्य संवर्धन उद्यम इकाइयों के साथ-साथ आधुनिक स्वच्छ बाजार जैसे सुपरमार्केट, रीटेल फिश मार्केट और आउटलेट, मोबाइल फिश और लाईव फिश मार्केट जैसे पोस्ट हार्वेस्ट इनफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाती है । अब तक, पीएमएमएसवाई के तहत उपर्युक्त सूचीबद्ध गतिविधियों के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2022-23) और चालू वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान 4005.96 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया है ।

पीएमएमएसवाई के तहत एक मजबूत मात्स्यिकी प्रबंधन ढांचे की स्थापना के लिए सहायता प्रदान की जाती है और मात्स्यिकी प्रबंधन योजनाओं के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता-आधारित सहायता प्रदान की जाती है । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई जलीय कृषि, समुद्री कृषि और पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और विभिन्न मात्स्यिकी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है, जिसका उद्देश्य आय में वृद्धि करना और मछुआरों और मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है । पीएमएमएसवाई के तहत मछली पकड़ने पर प्रतिबंध अवधि के दौरान पारंपरिक और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े, पात्र सक्रिय 6.0 लाख समुद्री और अंतर्देशीय मछुआरों के परिवारों को आजीविका और पोषण संबंधी सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, साथ ही पीएमएमएसवाई 33.20 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज प्रदान करता है और मत्स्यन जहाजों के लिए ब्याज सहायता (इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम) भी प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त पीएमएमएसवाई के तहत जलीय कृषि, समुद्री कृषि और पोस्ट हार्वेस्ट मेनेजमेंट गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 20823.40 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 3942 बायोफ्लॉक इकाइयां, 11927 री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), 44,408 जलाशय केज और जलाशयों में 543.7 हेक्टेयर पेन, 1,11,110 समुद्री शैवाल राफ्ट और मोनोलाइन इकाइयां, 1489 बाईवाल्व जलीय कृषि इकाइयां, 562 कोल्ड स्टोरेज, 6542 मत्स्य कियोस्क, 108 मूल्य वर्धित उद्यम इकाइयों और 25,193 पोस्ट हार्वेस्ट परिवहन इकाइयों को मंजूरी दी गई है ।

****